न्यायालय नायब तहसीलदार लूणी, जिला–जोधपुर(राज.)

राजस्व मुकदमा प्रकरण संख्या ......02.../2017

अप्रार्थी

श्री ...खेराजराम, गंगाबाराम, हनुमानराम, कोरा

प्रार्थी	बनाम	
राज्य सरकार जरिये पटवारी		

पुत्र श्री ...पुनाराम...

जाति ...बिश्नोई... निवासी ...ढाड़ा बिश्नोईयान

तहसील लूणी जिला–जोधपुर

मामला अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व

अधिनियम 1956 के तहत पारित बेदखली आदेश

निर्णय दिनांक ...27-01-17...

–: आदेश :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की कि अप्रार्थी ने ग्राम ...सेतरावा नगर... के खसरा नम्बर ...263... की सरकारी .... भूमि पर ...कब्जा... बीघा पर ...0:08... अतिकमण किया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस विधिवत तामील शुदा प्राप्त हुआ जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थी जारी नोटिस के सम्वन्ध में उपस्थित हुआ तथा अतिकमण स्वीकार किया। अप्रार्थी द्वारा अपना कब्जा पुराना होने वावत कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया न ही न ही नियमन कराने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नियमन की कार्यवाही चाही गई है।

अतः अप्रार्थी को अतिकमित भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है अतिकमण करने के जुर्म में लगान ...0:48..., का 50 गुणा जुर्माना ...24... रूपये की शास्ति से दण्डित किया जाता है एवं अतिकमण की गई भूमि से तत्काल बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। पटवारी हल्का ...कांकाणी... को आदेश दिया जाता है कि वह अतिकमित भू–भाग पर कुर्कशुदा खड़ी फसल को नियमानुसार निलाम करें, व निलामी कागजात पेश करें। पटवारी हल्का अतिकमित भूमि का कब्जा अपनी तहविल में लेकर रिपोर्ट सात दिवस में पेश करे। बेदखली आदेश की पालना में पटवारी हल्का ...कांकाणी... को लिखा जावें जुर्माने की डिमाण्ड कायमी हेतु पटवारी एवं टी.आर.ए. तहसील लूणी को लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो रेकर्ड में जमा की जावे।

निर्णय आज दिनांक ...27-01-17... को सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार, लूणी

जिला–जोधपर

Scanned by CamScanner